

श्रीमान् जी,


निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक: पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी खेतपाल पुत्र हजारीराम जाति जाट, आयु 70 वर्ष, निवासी-बक 14 एसपीएम गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, और दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बन्द वसीयत सीलड लिफाफा रोफ करटडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान अमीलाल ताखर पुत्र जोतराम एवं राधेश्याम पुत्र कृष्णलाल की पहचान अधिवक्ता श्री रिशीपाल जोशी द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सीलड पैकेट बन्द वसीयत को रोफ करटडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।



जिला पंजीयक महोदय

